राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा. / 2024 जयपुर, दिनांक 27 अगस्त, 2026

संशोधित अधिसूचना

समसंख्यक अधिसूचना द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ4(1)(1)नपा / रानिआ / 2026 / 6727 दिनांक 19.08.2026 एवं प्रेस नोट क्रमांक एफ4(1)(1)नपा / रानिआ / 2026 / 6722 दिनांक 19.08.2026 के क्रम में राज्य के 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव माह अगस्त–सितम्बर में दो चरणों में दिनांक 09.09.2026 (बुधवार) एवं दिनांक 11.09.2026 (शुक्रवार) को करवाये जाने के मद्देनज़र भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20 / 25 / 56 पब. / 1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन चुनाव कार्यक्रमानुसार दिनांक 09.09.2026 (बुधवार) एवं दिनांक 11.09.2026 (शुक्रवार) का अवकाश घोषित किया गया।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ4(1)(1)नपा / रानिआ / 2024 / 7165 दिनांक 25.08.2026 द्वारा नगर परिषद्, फतेहपुर में 11 सितम्बर 2026 को धार्मिक आयोजनों के मद्देनज़र नगर परिषद्, फतेहपुर का मतदान द्वितीय चरण से परिवर्तित करते हुये प्रथम चरण दिनांक 09 सितम्बर, 2026 को करवाने की स्वीकृती प्रदान की गई है।

अतः उपर्युक्तानुसार भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20 / 25 / 56 पब. / 1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन नगर परिषद्, फतेहपुर में द्वितीय चरण 11 सितम्बर, 2026 के स्थान पर प्रथम चरण दिनांक 09 सितम्बर, 2026 को चुनाव होने की दशा में मतदान की तिथि दिनांक 09.09.2026 (बुधवार) को परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरीश लड्ढा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक / मुम्बई / नागपुर / दिल्ली / जयपुर।

C:\2006\chouhan\elec.doc

राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

14. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
16. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
17. उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।
18. महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, बड़ौदा भवन, प्लाट नंम्बर 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड़, जयपुर, पिन–302018
19. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।
20. वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
21. मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।
22. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।
23. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3–नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।
24. राष्ट्रीय आवास बैंक, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर
25. मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।
26. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर–302001
27. सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।
28. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।
29. अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कार्नर गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर।
30. अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।
31. अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।
32. मन्त्री, को–ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन, कोटा।
33. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

C:\2006\chauhan\elec.doc